केवल शासकीय उपयोग हेतु

नगरपालिका निर्वाचन

मतगणना के सम्बन्ध में

निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर

मार्च 2004

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
अनुच्छेद		
1.	प्रस्तावना	1
2.	मतगणना के लिये निर्वाचन नियम	1
3.	मतगणना की तारीख, स्थान तथा समय की सूचना	1
4.	मतगणना के स्थान का चयन	1
5.	मतणना स्थल/भवन पर व्यवस्थाएं	2
6.	गणना मेजों तथा स्टाफ की व्यवस्था	2
7.	गणना कर्मियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण	4
8.	मतगणना मेज पर सामग्री	4
9.	गणन अभिकर्ता	5
10.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना	7
11.	मतदान केन्द्र पर डाले गए मतपत्रों की गणना	9
12.	पुनर्गणना	14
13.	मतगणना कार्य की निरन्तरता	15
14.	निर्वाचन की विवरणी तथा घोषणा	15
15.	गणना के पश्चात् मतपत्रों को सील किया जाना	15
16.	निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाना	16
परिशिष्ट		
एक	मतगणना से सम्बन्धित छ.ग. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 का उद्धरण	17
दो	मतगणना कक्ष की व्यवस्था	24
तीन	मतगणना के लिए गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों की नियुक्ति पत्र का प्ररूप	26
चार	प्रतिक्षेपित किये जाने वाले और न किये जाने वाले मतपत्रों के नमूने	28
पांच	प्रतिक्षेपित किये जाने और न किये जाने वाले निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के नमूने	30
छः	प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों पर लगाई जाने वाली मोहरों के नमूने	32
सात	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम	33
आठ	गणना पर्ची का प्ररूप	34
नौ	मतपत्र लेखा	35
दस	गणना का परिणाम	37
ग्यारह	अन्तिम परिणाम पत्र	38
बारह	निर्वाचन की घोषणा-सह-विवरणी	40
तेरह	निर्वाचन का प्रमाण पत्र	42
चौदह	निर्वाचित अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप	43

छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन – मतगणना निर्देश

1. प्रस्तावना:

मतगणना का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण भाग है। अनियमित या असावधानी से की गई मतगणना से सारे निर्वाचन का परिणाम ही विकृत हो सकता है। स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन में मतगणना में सावधानी की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योकि मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण सामान्यतया अभ्यर्थियों के बीच हार–जीत का अन्तर बहुत कम रहता है। अत: यह आवश्यक है कि मतगणना कार्य में वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारी लगाए जाएं तथा हर स्तर पर पर्याप्त सतर्कता और सावधानी बरती जावे।

2. मतगणना के लिए निर्वाचन नियम:

मतगणना की कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अध्याय 8 के नियम 64 से 75 के अनुसार की जाएगी। ये नियम **परिशिष्ट–एक** में उद्धृत है।

3. मतगणना की तारीख, स्थान तथा समय की सूचना:

मतगणना के लिए तारीख, स्थान तथा समय का उल्लेख रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी की गई निर्वाचन की सूचना में रहता है। अत: इस सूचना के प्रकाशन के साथ ही अभ्यर्थियों को मतगणना के संबंध में आवश्यक जानकारी हो जाती है। किन्तु यदि किसी कारण से मतगणना के लिए निर्धारित तारीख, स्थान या समय में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो जाए तो सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव भेजे। आयोग द्वारा परिवर्तन के लिए स्वीकृति दी जाने की स्थिति में, परिवर्तित तारीख, स्थान और समय की सूचना रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में दी जावे।

4. मतगणना के स्थान का चयन:

प्रत्येक नगरपालिका में मतगणना के लिए स्थान/भवन का चयन जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा स्वयं किया जाए। चयनित भवन का परिसर खुला–फैला होना चाहिए। चयनित भवन में हाल या कमरे इतने बड़े होने चाहिए कि उसमें सहायक रिटर्निंग आफिसरों, गणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायको, अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो। यदि भवन में बड़ा सभागार (हॉल) न हो तो मतगणना–कार्य एक से अधिक कमरों में किया जा सकता है।

पण्डाल लगाये जाने की अवस्था में उसके चारों ओर कडी सुरक्षा व्यवस्था तथा विश्वसनीय अग्निशमन– सेवा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. मतगणना स्थल/भवन पर व्यवस्थाएं:

(1) मतगणना स्थल की सर्वप्रथम आवश्यकता विश्वसनीय सुरक्षा-व्यवस्था है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को जिला पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा और स्थल -निरीक्षण करके मतगणना की तारीख के काफी पहले, समुचित सुरक्षा व्यवस्था की योजना बना लेनी चाहिए।

(2) मतगणना भवन में अग्नि-शमन उपकरणों को चालू हालत में रखा जाना चाहिए और नगर में फायर-ब्रिगेड को सतर्क करके रखना चाहिए।

(3) मतगणना हॉल/कमरों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हेतु अतिरिक्त ट्यूबलाइट्स/बल्ब लगाये जाएं। विद्युत प्रवाह अचानक बन्द होने की स्थिति में गणना कार्य में व्यवधान न हो, इस दृष्टि से एक आपात- उपयोगी (स्टेन्ड-बाइ) डीजल जनरेटर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) मतगणना भवन के बाहर एकत्र लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए समय-समय पर गणना परिणामों के उद्घोषणा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) मतगणना भवन के अन्दर धूम्रपान पूर्णतया निषिद्ध किया जाना चाहिए ।

(6) मतगणना भवन के अन्दर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए:-

(क) गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति,
(ख) राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
(ग) निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्यूटी पर लगाए गए लोक सेवक,
(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणन-अभिकर्ता।

(7) नियम 65 (4) के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति को जो मतगणना के दौरान अपचार करे या रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विधिपूर्वक निर्देशों का पालन न करे, मतगणना हॉल/भवन से हटाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इस प्रावधान का उपयोग किया जाए।

6. गणना मेजों तथा स्टाफ की व्यवस्था:

(i) मतगणना के लिए **परिशिष्ट-दो** में दर्शाए गए रेखाचित्र के अनुसार मेजों की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक मेज कम से कम 4 फीट लम्बी होनी चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में लगाई जाने वाली मेजो की संख्या गणना-हॉल/कमरों के आकार पर निर्भर करेगी। अत: परिशिष्ट-दो में दर्शायी गई व्यवस्था में, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) प्रत्येक गणना मेज पर उसका क्रमांक प्रदर्शित किया जाए और उस पर एक गणना पर्यवेंक्षक तथा दो गणना सहायक तैनात किए जाएं। मेज के एक छोर (शीर्ष) पर गणना पर्यवेक्षक तथा एक ओर के लम्बे किनारे पर गणना सहायक बैठेंगे। गणन अभिकर्ता, गणना सहायकों के ठीक सामने बैठेंगे, जिससे वे मतपत्रों की छटाई, संवीक्षा और गणना कार्य आसानी से देख सकें। आम चुनाव के अवसर पर प्रत्येक मेज पर दो ट्रे रखी जाएं–, एक महापौर/अध्यक्ष के मतपत्रों के लिए और दूसरी पार्षद के लिए। प्रत्येक ट्रे में अभ्यर्थियों की संख्या से एक अधिक खाना (संदिग्ध मतपत्र रखने के लिए) बना लिया जाए। ट्रे का प्रत्येक खना 10 से.मी. चौड़ा, 15 से.मी. लम्बा और 10 से.मी. गहरा होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो एक से अधिक ट्रे का उपयोग किया जाए ।

(iii) गणना मेजों की कुल संख्या उतनी ही रखी जाए जितनी कि सम्बन्धित नगरपालिका में वार्डो की संख्या है। अर्थात प्रत्येक वार्ड के लिए एक गणना मेज रखी जाए, भले ही उस वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र क्यों न हों। इसका अपवाद कुछ नगर निगम हो सकते है जहां कि प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की भारी संख्या को देखते हुए, आयोग प्रत्येक वार्ड के लिए 2 गणना मेजें लगाने की अनुमति दे सकता है। इसके अतिरिक्त रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों की मेजें होंगी। समान्यतया मेजें 5 से 10 की पंक्तियों में लगाई जाएं और एक या उससे अधिक पंक्तियों का प्रभार एक सहायक रिटर्निंग आफिसर को सौंपा जाए। सहायक रिटर्निंग आफिसर उसके प्रभार की मेजो पर की गई मतगणना में पाए गए संदिग्ध मतपत्रों (अर्थात् ऐसे मतपत्रों की जिनके बारे में गणना पर्यवेक्षक को यह संदेह हो कि वे किस अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए है और वे विधिमान्य है या खारिज करने योग्य), संवीक्षा (जांच) स्वयं करेगा। सम्पूर्ण व्यवस्था पर नजर रखने के लिए रिटर्निंग आफिसर की मेज अलग से, कुछ ऊंचाई के प्लेटफार्म पर लगाई जाए। <u>निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना, रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वयं की जाए।</u> बड़ी नगरपालिकाओं में रिटर्निंग आफिसर अपनी सहायता के लिए (अपनी मेज पर) एक सहायक रिटर्निंग आफिसर भी नियुक्त कर सकता है।

(iv) संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा कार्य करने वाले प्रत्येक सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा रिटर्निंग आफिसर की मेज के पास दो अलमारियों की व्यवस्था की जाए जिनमें से प्रत्येक में उतने खाने बने हों जितनी गणना मेजों का उनके पास प्रभार है। प्रत्येक खाने में क्रम संख्या डाल देनी चाहिए जिससे मेज क्रमांक 1 से प्राप्त मतपत्रों का बंडल खाना क्रमांक 1 में है और इसी प्रकार हर मेज से प्राप्त बंडल उसी के क्रम–संख्या वाले खाने में रखा जा सके। इन खानों को बनाने का एक आसान तरीका यह है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में पड़ी अनुपयोगी मतपेटियों के ढक्कन निकलवा दिए जाएं और उन्हें तीन चार की पंक्तियों में एक के ऊपर एक रख दिया जाए।

जब किसी विशेष मेज का गणना पर्यवेक्षक अपनी मेज के मतपत्रों का बंडल लेकर सहायक रिटर्निंग आफिसर के पास आए और सहायक रिटर्निंग आफिसर किसी अन्य मतदान केन्द्र के संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा में व्यस्त हो तो पर्यवेक्षक मतपत्रों का बंडल अलमारी के समुचित खाने में रख देगा।

(v) दृढ़-कक्ष (स्ट्रांग रूम), जहां कि गणना के पूर्व मतपेटियां रखी हों, उसे गणना हॉल में सीलबंद मतपेटियां भिजवाने और गणना के पश्चात् खाली मतपेटियां उठवाने तथा मतपत्रों के पैकेट एवं अन्य सामग्री सुरक्षितअभिरक्षा में रखने के कार्य का प्रभार एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाए और उसकी सहायता के लिए दो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी तथा आवश्यक संख्या में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त किए जाएं।

7. गणना कर्मियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण:

गणना पर्यवेक्षक के पद पर अपेक्षाकृत वरिष्ठ स्तर के अधिकारी या कार्यपालिक कर्मचारी ही नियुक्त किये जाने चाहिए। गणना सहायक भी अपेक्षाकृत अनुभवी कर्मचारी होने चाहिए।

रिटर्निंग आफिसर द्वारा गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों के नियुक्ति आदेश, जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद **परिशिष्ट-तीन** में दिए गए प्ररूप में जारी किए जाएं।

गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायको को गणना कार्य में गहन प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक नगरपालिका में 2-3 घंटे का एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण सत्र में, उप जिला निर्वाचन अधिकारी को यथासम्भव उपस्थित रहना चाहिए। सम्बन्धित नगरपालिका के रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अपनी नगरपालिका के प्रशिक्षण सत्र में अवश्यमेव भाग लेना चाहिए। **परिशिष्ट-चार** में प्रतिक्षेपित किये जाने वाले और न किये जाने वाले मतपत्रों के उदाहरण दिए गए है। इनसे प्रशिक्षण सत्र के सभी सहभागियों को भली-भांति अवगत कराया जाना चाहिए।

8. मतगणना मेज पर सामग्री:

प्रत्येक गणना मेज पर निम्नांकित सामग्री और प्ररूप उपलब्ध कराए जाएं:-

(क) सामग्री-

(1) एक पेंसिल या बाल पाइन्ट पेन

(2) कागज के दो पन्ने

(3) रबर के छल्ले (रबर बैंड) या धागा (चौथाई गोला)

(4) गीला स्पंज

(5) एक या दो पेपर वेट

(6) एक रेजर ब्लेड

(7) एक सूजा या टोंचा

(8) बड़ी ट्रे (दो)

नोट.– गणना मेज पर सीलबन्द मतपेटी/मतपेटियों के साथ-साथ मतपत्र लेखा (प्ररूप-18), दृढ़कक्ष (स्ट्रांग रूम) से निकालकर प्रथकशः रखवाए जाएंगे।

(ख) प्ररूप–

(1) गणना पर्चियां–परिशिष्ट–आठ

(2) गणना का परिणाम–परिशिष्ट–दस (प्ररूप–21)

(3) <u>रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर की मेज के लिए:–</u>

(i) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम–परिशिष्ट–सात (प्ररूप–20),

(ii) गणना का अंतिम परिणाम पत्र– परिशिष्ट–ग्यारह (प्ररूप–22),

(iii) प्रतिक्षेपित किए गए मतपत्रों के पीछे कारण दर्शाने वाली मोहर–परिशिष्ट–छः

(iv) बैगनी स्याही का स्टैम्प पैड,

(v) गोंद की छोटी शीशी,

(vi) मोमबत्ती,माचिस तथा चपड़े की सलाइयां।

(4) <u>रिटर्निंग आफिसर की मेज के लिए:–</u>

(i) निर्वाचन की घोषणा–सह–विवरणी–परिशिष्ट–बारह (प्ररूप–23),

(ii) निर्वाचन का प्रमाण–पत्र–परिशिष्ट–तेरह (प्ररूप–24),

(iii) निर्वाचित अभ्यर्थी से प्राप्त की जानेवाली अभिस्वीकृति के प्ररूप–परिशिष्ट–चौदह; तथा

(iv) रिटर्निंग आफिसर की सील।

9. गणन अभिकर्ताः

(1) एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना एक ही मेज पर की जाएगी। यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र भी हों तब भी उनमें डाले गए मतों की गणना बारी –बारी से उसी मेज पर की जाएगी। इसका अपवाद कुछ बड़े नगरनिगम, हो सकते हैं, जहां कि आयोग प्रत्येक वार्ड के लिए 2 गणना मेंजें लगाने की अनुमति दे सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निम्नानुसार गणन अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जाएगी:-

(क) पार्षद के मामले में:-

(i) यदि अभ्यर्थी के वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या 5 तक हो तो केवल एक गणन अभिकर्ता,

(ii) यदि अभ्यर्थी के वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या 5 से अधिक हो और वार्ड के मतों की गणना 2 मेजों पर की जा रही हो तो 2 गणन-अभिकर्ता।

(ख) महापौर/अध्यक्ष के मामले में:- प्रत्येक गणना मेज के लिए एक गणन-अभिकर्ता।

अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर की मेज पर गणन कार्य की देखरेख कर सकता है,जहां कि वार्ड के विभिन्न मतदान केन्द्रों से संबंधित संदिग्ध मतपत्रों की बारी-बारी से संवीक्षा की जाएगी।

(3) रिटर्निंग आफिसर को चाहिए कि वह प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व लिखित सूचना भेज दें कि अभ्यर्थी कितने गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। इस सूचना पत्र में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि:-

(क) गणन अभिकर्ता के नियुक्ति-पत्र की एक प्रति मतगणना की तारीख से कम से कम दो दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में अवश्य पहुंचा दी जाए ताकि संबंधित गणन अभिकर्ता के लिए 'बैज' (बिल्ला) या 'पास' तैयार रखा जा सके, तथा

(ख) मतगणना के दिन गणन अभिकर्ता को नियुक्ति-पत्र की एक प्रति के साथ, गणना प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले गणना स्थल पर उपस्थित हो जाना चाहिए।

(4) किसी भी गणन अभिकर्ता को गणना भवन में तभी प्रवेश दिया जाए जबकि वह अपना नियुक्ति पत्र दिखाए तथा उसमें मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए की जाने वाली घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करे। प्रवेश के समय गणन अभिकर्ता को बैज या पास देने के साथ-साथ यह स्पष्ट कर दिया जाए कि वह किस मेज पर गणना कार्य देखेगा।

(5) गणना कार्य के प्रारम्भ में ही उद्घोषणा कर दी जाए कि: गणन अभिकर्ताओं को आवंटित मेज से हटकर हॉल में इधर-उधर घूमने-फिरने की अनुमति नहीं है तथा भवन के अन्दर धूम्रपान पूरी तरह निषिद्ध है; भवन में उपस्थित सभी लोग शांतिपूर्वक अपना कार्य करें और गणना कर्मियों तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर को पूरा सहयोग दें तथा जो कोई व्यक्ति विच्छृंखल आचरण करेगा या प्राधिकृत अधिकारी के किसी निर्देश की अवहेलना करेगा उसे गणना-भवन से बाहर भेज दिया जाएगा।

10. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना:

(1) मतगणना का कार्य निर्धारित समय पर प्रारम्भ किया जाए। सर्वप्रथम निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संवीक्षा तथा गणना का कार्य हाथ में लिया जाए। यदि महापौर/अध्यक्ष का और वार्डों से पार्षदों का निर्वाचन साथ-साथ हो रहा है तो पहले महापौर या अध्यक्ष के स्थान के लिए प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना की जाए। तत्पश्चात् एक-एक करके क्रम से सभी वार्डों के लिए प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना की जाए। इस दौरान मतपेटियों को दृढ़ कक्ष से निकालकर हॉल/गणना मेजों पर रखने तथा उनका गणन अभिकर्ताओं को निरीक्षण कराने का कार्य किया जाए।

(2) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वयं की जाए। इस कार्य को देखने के लिये रिटर्निंग आफिसर की मेज के पास प्रत्येक अभ्यर्थी के बैठने की व्यवस्था की जाए। मतगणना प्रारंभ करने के लिये निर्धारित समय तक प्राप्त मतपत्रों के लिफाफे गणना में सम्मिलित किये जाएं परन्तु उसके बाद प्राप्त लिफाफों पर प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करते हुए उन्हें (बगैर खोले हुए) एक अलग बंडल में रख दिया जाए। निर्धारित समय के अंदर प्राप्त लिफाफों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा एक-एक करके खोला जाए। बाहर का लिफाफा (प्ररूप-19-ख) को खोलने पर उसके अंदर मतपत्र वाला छोटा लिफाफा (प्ररूप-19-क) और मतदाता द्वारा की गई घोषणा का फार्म (प्ररूप-19-ग) निकलेंगे। रिटर्निंग आफिसर द्वारा निम्नांकित दशा में, भीतर के लिफाफे (प्ररूप-19-क) को खोले बगैर, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) कर दिया जाए:-

(क) यदि मतदाता द्वारा की गई घोषणा (प्ररूप-19-ग) बाहरी लिफाफे (प्ररूप-19-ख) के अन्दर न पाई जाए, या

(ख) यदि मतदाता की घोषणा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित न हो या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित न हो या उसमें अन्य कोई सारभूत त्रुटि हो, या

(ग) यदि घोषणा-पत्र में उल्लिखित मतपत्र का क्रमांक उस क्रमांक से भिन्न हो जो कि भीतरी लिफाफे (प्ररूप-19-क) के ऊपर अंकित है।

ऐसे सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के (प्ररूप-19-क वाले) लिफाफों के ऊपर **परिशिष्ट-छः** में दर्शित मोहर क्रमांक-एक लगाई जाए तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा उस पर उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान (✓) लगाते हुए, अपने हस्ताक्षर किए जाएं। तत्पश्चात् ऐसे लिफाफे और उनके साथ प्राप्त घोषणा के फार्मों को (यदि हो) फिर से बाहर वाले बड़े लिफाफे (प्ररूप-19-ख) में समुचित पृष्ठांकन के साथ रख दिया जाए। इस प्रकार के सभी बड़े लिफाफों का एक अलग पैकेट बनाकर उसे सीलबन्द कर दिया जाए तथा पहचान के लिये उस पर ''नि.क. मतपत्र-त्रुटिपूर्ण प्रतिक्षेपित'' लिख दिया जाए।

शेष बचे लिफाफों को अर्थात् जिनमें उपर्युक्त प्रकार की त्रुटियां न पाई जाएं, एक-एक करके गणना के लिये लिया जाए। सर्वप्रथम ऐसे समस्त लिफाफों के घोषणा पत्र (प्ररूप-19-ग) एकत्र करके उन्हें एक अलग पैकेट में रखकर सील कर दिया जाए। उसके

बाद मतपत्र वाले भीतरी लिफाफे (प्ररूप-19-क) एक-एक करके खोले जाएं और उनमें रखे हुए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों को निकालकर एकत्र किया जाए। तत्पश्चात् प्रत्येक मतपत्र की संवीक्षा (जांच) की जाए और यह विनिश्चित किया जाए कि वह विधिमान्य है या नहीं।

(3) नियम 66 (8) के अनुसार निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र निम्नांकित दशा में प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जा सकता है अर्थात्-यदि-

(1) उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जो मत को अभिलिखित करने से भिन्न है और जिससे कि मतदाता की पहचान हो सके, या

(2) उस पर काई मत अभिलिखित नहीं है, या

(3) उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिये गये है, या

(4) वह बनावटी मतपत्र है, या

(5) वह इस प्रकार क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, या

(6) उसे उसी लिफाफे में जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को उसके साथ भेजा गया था रखकर नहीं लौटाया गया है, या

(7) मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है जिससे कि यह बात संदेहपूर्ण हो कि मत अभ्यर्थी को दिया गया है।

मतदाता द्वारा अपना मत उपदर्शित करने वाला किसी भी प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है बर्शतें कि उससे मतदाता की पहचान न हो सके। जब तक मतपत्र पर चिन्ह इस प्रकार और ऐसे स्थान पर लगाया गया है कि उससे मतदाता का किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को मत दने का इरादा स्पष्ट हो जाता है, मतपत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को केवल इस आधार पर भी खारिज नहीं किया जाए कि मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या किसी अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक बार लगाया गया है।

(4) प्रतिक्षेपित किये जाने और न किये जाने योग्य निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के नमूने परिशिष्ट-पांच पर दर्शाए गए है। प्रतिक्षेपित (खारिज) किए गए मतपत्रों के पीछे, कारण दर्शानेवाली मोहर का नमूना, **परिशिष्ट-छः** में (सील क्रमांक-दो) दर्शाया गया है। जिस कारण के आधार पर मतपत्र को प्रतिक्षेपित किया जाए उसके सामने सही का निशान (✓) लगाकर, रिटर्निंग आफिसर द्वारा नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाएं।

(5) उपरोक्तानुसार संवीक्षा के पश्चात् मतपत्रों को, गणना-ट्रे में अभ्यर्थीवार, अलग-अलग खानों में रखा जाए। खारिज किए गए मतपत्रों को एक अलग खाने में रखा जाए। संवीक्षा पूर्ण हो जाने पर विधिमान्य मतों की अभ्यर्थीवार गणना की जाए और गणना

का परिणाम परिशिष्ट–सात (प्ररूप–20) में अभिलिखित किया जाए। इस परिशिष्ट को भरते समय अविधिमान्य किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की कुल संख्या में उन निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों को भी सम्मिलित किया जाए जिन्हें कंडिका 10 (2) में उल्लिखित कारणों से (बगैर प्ररूप 19–क के लिफाफे खोले) प्रतिक्षेपित कर दिया गया हो, इसी प्रकार प्राप्त हुए कुल निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या में भी ऐसे त्रुटिपूर्ण और प्रतिक्षेपित निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों को सम्मिलित किया जाय। मतगणना पूरी हो जाने पर, अभ्यर्थी तथा निर्वाचन/ गणन अभिकर्ताओं की जानकारी के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले निर्वाचन कर्तव्य मतों का आख्यापन (ऐलान) भी किया जाए।

(6) तत्पश्चात् सभी विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की अभ्यर्थीवार अलग–अलग गड्डियां बनाई जाएं और खारिज किये गये मतपत्रों की एक अलग गड्डी बनाई जाए। प्रत्येक गड्डी में एक गणना पर्ची लगाई जाए जिससे यह ज्ञात हो सके कि गड्डी किस अभ्यर्थी की है और उसमें कितने मतपत्र है। गिने हुए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों तथा साधारण मतपत्रों की गड्डियों पर लगाई जाने वाली गणना पर्चियों के नमूने परिशिष्ट–आठ में दर्शाए गए है। इन सभी गड्डियों को एक साथ रखकर तथा रबर बैन्ड से बांध कर एक पैकेट में रख दिया जाए। पैकेट पर रिटर्निंग आफिसर के द्वारा अपनी सील लगायी जाए तथा इन अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी अपनी सीलें लगाने का अवसर दिया जाए जो ऐसा करना चाहें। इस पैकेट पर पहचान के लिए निम्नानुसार विवरण अंकित किया जाए:–

''गिने गए नि.क. मतपत्र: विधिमान्य और प्रतिक्षेपित''

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत----------

महापौर/अध्यक्ष/पार्षद, वार्ड क्रमांक----------

मतगणना की तारीख----------

11. मतगणना केन्द्र पर डाले गए मतपत्रों की गणना:

(1) **गणना के पूर्व मतपेटियों का वितरण और निरीक्षण.**– मतगणना के लिए वार्ड क्रमांक 1 में स्थित सभी मतदान केन्द्रों की मतपेटियों को क्रम से मेज क्र. 1 पर रखा जाए और उन्हें एक–एक करके (बारी–बारी से) खोलकर, नीचे दर्शाए अनुसार मतों की गणना की जाए। इसी प्रकार वार्ड क्र. 2 के सभी मतदान केन्द्रों पर डाले गए मतों की गिनती, मतदान केन्द्रवार, मेज क्र.2 पर की जाए। ऐसा ही अन्य वार्डो के लिए भी किया जाए। (इसका अपवाद केवल, कतिपय महानगरों के वे वार्ड होंगे जिनमें मतगणना के लिए प्रति वार्ड 2 मेजों की व्यवस्था की गई हो। उनमें एक साथ 2 मतदान केन्द्रों की गिनती की जा सकेगी)। दूसरे शब्दों में एक गणना मेज पर उससे संबंधित (अर्थात समान क्रमांक वाले) वार्ड के सभी मतदान केन्द्रो के मतों की गणना की जाए। किसी एक मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियां दृढ़कक्ष (स्ट्रांगरूम) से एक साथ निकालकर मतगणना हॉल में लाई जाए और गणना के लिए एक ही मेज पर दी जाए। (किन्तु एक

बार में केवल एक ही मतपेटी खाली की जाए) । जैसे ही किसी एक मतदान केन्द्र की मतपेटी/ मतपेटियां गणना मेज पर प्राप्त हों, गणन अभिकर्ताओं को उसे/उन्हें देखने का अवसर दिया जावे। गणना अभिकर्ताओं को इस बात का पूरा समाधान कराया जाना चाहिए कि किसी मतपेटी पर लगी सील के साथ कोई छेड़छाड़ (टेम्परिंग) नहीं की गई है। यह ध्यान मे रखने योग्य है कि मतपेटी की बाहरी सील महत्वपूर्ण नहीं है। यदि बाहरी सील क्षतिग्रस्त भी हो परन्तु भीतर की सील ठीक हो तो यह निष्कर्ष निकाला जायेगा कि मतपेटी की अर्न्तवस्तु के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। अतएव गणन अभिकर्ताओं द्वारा यदि बाहरी सील के संबंध में कोई आपत्ति भी की जाए तो उसे अमान्य किया जाए। अंदर की सील की बात, निश्चित ही और है।यदि वह टूटी हुई हो या मतपेटी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होना पाई जाए तो इसकी छानबीन स्वयं रिटर्निंग आफिसर द्वारा की जाए तथा तब तक उस मतदान केन्द्र की मतगणना का कार्य रोक दिया जाए। शेष मतदान केन्द्रों की मतगणना का कार्य जारी रखा जा सकता है। यदि रिटर्निंग आफिसर जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मतपेटी को पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की है कि जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है,तो वह उस मतदान केन्द्र की मतगणना रोक देगा और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट, तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आगे की कार्यवाही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जाएगी।

(2) **मतपेटियों को खाली किया जाना.**–मतपेटी की सीलों और उसकी अनन्यता (अर्थात् कोई अन्य मतपेटी न होने) के बारे में जांच हो जाने पर मतपेटी खोली जाए। पेटी के सभी मतपत्र निकालकर गणना मेज पर रखे जाएं। गणन अभिकर्ताओं को इस बारे में अपना समाधान कर लेने दिया जाए कि मतपेटी में से सारे मतपत्र निकाल लिए गए है और उसके अंदर और कोई मतपत्र नही रह गया हैं। यदि महापौर/अध्यक्ष और पार्षदों के निर्वाचन एक साथ हो रहे है तो मतपेटी से दो प्रकार के मतपत्र प्राप्त होंगे, अर्थात महापौर/अध्यक्ष के लिए सफेद मतपत्र तथा संबंधित वार्ड से पार्षद के लिए रंगीन (गुलाबी, पीले या नीले) मतपत्र। सर्वप्रथम मतपत्रों को उनके रंग के अनुसार अलग–अलग छांटा जाए तथा प्रत्येक प्रकार के मतपत्रों के उस भाग को जिसमें अभ्यर्थियों के नाम ओर निर्वाचन प्रतीक मुद्रित हों, नीचे की ओर करते हुए उनकी गड्डियां बनाई जाएं और उन्हे मेज पर रख दिया जाए। तत्पश्चात् मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई दूसरी मतपेटी (यदि ऐसी कोई मतपेटी हो), को भी उपराक्तानुसार ही खोलकर, उसके मतपत्र निकालकर समेटे जाएं। किसी एक मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियां खोलने के बाद, उनमें से निकले दोनों प्रकार के मतपत्रों की, अलग–अलग गड्डियां बनाने के बाद (केवल संख्या ज्ञात करने के उद्देश्य से) पृथक–पृथक आरम्भिक गणना की जाए। इस संख्या की प्रविष्टि गणना पर्यवेक्षक द्वारा संगत मतपत्र लेखा **परिशिष्ट–नौ**, (प्ररूप–18) के भाग–2 में की जाए। यदि मतपत्र लेखा के भाग–1 में क्रमांक 5 पर अंकित संख्या तथा भाग–2 में दर्शित संख्या में कोई अंतर पाया जाए तो उसका उल्लेख मतपत्र लेखा भाग–2 में यथास्थान किया जाए। इस अंतर के कारणों की छानबीन करने या उसके संबंध में की जाने वाली पृच्छाओं का जवाब देने में, गणना पर्यवेक्षक को उलझने की आवश्यकता नहीं है। मतपत्र लेखा के भाग–2 में अपरोक्तानुसार संख्या अंकित करने के पश्चात् वह मतपत्रों की संवीक्षा और

गणना कार्य की ओर अग्रसर होगा। सर्वप्रथम वह महापौर/अध्यक्ष के (सफेद रंग के) मतपत्रों की आरम्भिक गणना करेगा। यह कार्य पूरा हो जाने के बाद वह संबंधित वार्ड के पार्षद् के (रंगीन) मतपत्रों की आरम्भिक गणना का कार्य हाथ में लेगा।

(3) गणना मेज पर मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) और गणना.–(i) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् मतपत्रों की गड्डियो को पुनः सीधा किया जाए और गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों द्वारा पहले महापौर/अध्यक्ष और फिर पार्षद के मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) तथा अभ्यर्थीवार छटनी प्रारम्भ की जाए। किसी अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए सभी विधिमान्य मतपत्रों को गणना ट्रे में उस अभ्यर्थी के लिए निर्धारित खाने में रखा जाए। ऐसा प्रत्येक मतपत्र जिसकी विधिमान्यता संदेहास्पद हो अर्थात् जिसके बारे में गणना पर्यवेक्षक के लिए यह निर्णय लेना संभव न हो कि वह मतपत्र किस अभ्यर्थी के पक्ष में गिना जाए, संदिग्ध मतपत्रों के खाने में रखा जाए। यदि अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं के बीच किसी मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में या इस बारे में कि वह किस अभ्यर्थी को दिया गया है विवाद हो तो ऐसे मतपत्र को भी गणना पर्यवेक्षक द्वारा संदिग्ध मतपत्र वाले खाने में रख दिया जाए। अभ्यर्थी या उनके गणन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि इस स्टेज पर किसी मतपत्र को संदिग्ध श्रेणी में रखने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसे खारिज कर दिया गया है, क्योंकि मतपत्र खारिज करने का अधिकार केवल रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर को है, और वे ही संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेंगे।

(ii) संदिग्ध मतपत्रों की जांच, यदि संभव हो तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वयं, अन्यथा सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपनी मेज पर की जाए। खारिज किए जाने वाले ऐसे किसी भी मतपत्र को, जिसे कोई उपस्थित अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता (या दोनो की अनुपस्थिति में उसका गणन अभिकर्ता) ठीक से देखना चाहे, उसे देखने की अनुमति दी जाए परन्तु किसी मतपत्र को हाथ में लेने की अनुमति न दी जाए।

(iii) मतपत्र को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से प्रतिक्षेपित (खारिज) किया जा सकता है, अर्थात् यदि:–

(क) उस पर कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती, या

(घ) वह विशिष्ट मतदान केन्द्र मे उपयोग मे लाये जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के यथास्थिति क्रमांकों से भिन्न क्रमांक का या परिकल्प (डिजाइन) से भिन्न परिकल्प का है, या

(ड) उस पर सुभेदक सील नहीं लगी है तथा पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, या

(च) उस पर मतांकन का चिन्ह (अर्थात् घूमते तीरों का चिन्ह) नहीं है, या

(छ) उसमें एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने पर चिन्ह लगाया गया है, या

(ज) उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित उपकरण या युक्ति (अर्थात् दी गई धूमते तीरों की सील) से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है, या

(झ) मतांकन का चिन्ह पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह छायाकृत स्थान के अन्दर बना है।

किन्तु यह समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में वर्णित कोई त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई तो रिटर्निंग आफिसर यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी त्रुटि पर ध्यान न देते हुए इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित (खारिज) नहीं किये जावें।

(iv) मतपत्र को केवल इस कारण से प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा कि:-

(क) किसी एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाये गये है, या

(ख) एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठभाग या गहरे रंग वाले (छायाकृत) स्थान में भी चिन्ह लगा है, या

(ग) वह चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा चिन्ह का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या

(घ) मूल चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में स्पष्ट रूप से बना है, किन्तु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण उसकी छाप अन्य अभ्यर्थी के खाने में बन गई है। (मूल चिन्ह और उसकी छाया प्रति में अन्तर करना आसान है। मूल चिन्ह में तीरों की दिशा घड़ी की सुईयों के घूमने की दिशा के विपरीत रहती है। छाप में तीरों की दिशा इससे उल्टी अर्थात घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा हो जाएगी। इस आधार पर छाप तथा मूल चिन्ह में सरलतापूर्वक भेद किया जा सकता है)।

(ड) चिन्ह किसी एक अभ्यर्थी के खाने में लगा है, परन्तु किसी दूसरे अभ्यर्थी के सामने वाले खाने में भी धब्बा बन गया है, या

(च) मतपत्र के पीछे कोई विभेदक चिन्ह और हस्ताक्षर नहीं है परन्तु अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि चूक पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या असावधानी के कारण हुई है, या

(छ) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे के निशान का धब्बा बन गया है।

(v) नियम 68 (3) के अनुसार किसी मतपत्र को प्रतिक्षेपित करने के आधार को संक्षेप में अभिलिखित करना अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिये प्रतिक्षेपण के विभिन्न कारणों को, संक्षिप्त रूप से दर्शाने वाली रबर की एक मोहर बना ली जाए। मोहर का नमूना **परिशिष्ट–छः** में सील क्रमांक–तीन पर दर्शाया गया है। यह मोहर प्रत्येक प्रतिक्षेपित मतपत्र के पृष्ठ भाग पर लगाई जाए और जिस कारण से संबंधित मतपत्र खारिज किया गया है उस कारण पर सही का निशान (✓) लगाकर रिटर्निंग आफिसर सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाएं।

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के लिए (उनकी सीमित संख्या तथा उनकी गणना केवल रिटर्निंग आफिसर की मेज पर किए जाने के कारण) एक मोहर पर्याप्त है, किन्तु साधारण मतपत्रों के लिए, प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अाफिसर को एक मोहर उपलब्ध कराई जानी होगी।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतपत्रों को समेटकर उनकी 50–50 की गड्डियां बनाई जायें। अंतिम गड्डी 50 मतपत्रों से कम की हो सकती है। इसी प्रकार संदिग्ध मतपत्रों में भी 50–50 मतपत्रों की गड्डियां बनाई जाएं। प्रत्येक गड्डी पर **परिशिष्ट–आठ** में दशाए गए नमूने के अनुसार, एक गणन पर्ची रखते हुए उसे रबर बैंड या छल्ले से बांध दिया जाए। साथ ही गणना का परिणाम **परिशिष्ट–दस** (प्ररूप–21) भरकर, गणना पर्यवेक्षक द्वारा उसमें अपने हस्ताक्षर किए जाएं। तत्पश्चात् सभी अभ्यर्थियों की विधिमान्य मतपत्रों की गड्डियां तथा संदिग्ध मतपत्रों की गड्डी को एक साथ लपेटकर सुतली या रबर बैण्ड से बांध दिया जाए। इस प्रकार तैयार बंडल को गणना पर्यवेक्षक द्वारा परिशिष्ट–दस (प्ररूप–21) के साथ अपनी मेज के प्रभारी सहायक रिटर्निंग आफिसर/रिटर्निंग आफिसर के पास पहुचा दिया जाए।

(vii) जैसे ही एक मेज पर गणना का एक चक्र (अर्थात् एक मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की गणना कार्य) पूरा हो जाए, गणना के अगले चक्र के लिए उस मेज पर संबंधित वार्ड के दूसरे मतदान केन्द्र की मतपेटी/मतपेटियां (यदि उस वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो) पहुंचा दी जाए। ऐसा करने से गणना स्टाफ निष्क्रिय नहीं बैठा रहेगा।

(4) **रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा संदिग्ध मतपत्रों की संवीक्षा (जांच) तथा गणना.**– रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर,उसे विभिन्न गणना मेजो से प्राप्त बण्डलों की बारी–बारी से संवीक्षा करेगा। जिस बंडल को संवीक्षा के

लिए लिया जाए उसमें से सर्वप्रथम संदिग्ध मतपत्रों वाली गड्डी में रखे मतपत्रों की एक-एक करके संवीक्षा (जांच) की जाए। यदि वह कोई मतपत्र किसी अभ्यर्थी के पक्ष में डाला जाना पाए तो ऐसे मतपत्र को संबंधित अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये वैध मतपत्रों के बन्डल में सम्मिलित करेगा। प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों को एक अलग गड्डी में रखा जाए। तत्पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी की विधिमान्य मतपत्रों की गड्डी में रखेगए मतपत्रों का नमूना (परीक्षात्मक) जांच की जाए। नमूना जांच में लगभग 5 प्रतिशत मतपत्रों की संवीक्षा की जाए। यदि कोई विसंगति पाई जाए तो उसे दुरूस्त किया जाये और मतपत्रों को सुसंगत गड्डी में अन्तरित करने की कार्यवाही की जाए। मतपत्रों का इस प्रकार आवश्यक अन्तरण करने के साथ-साथ रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा गणन पर्चियोंतथा गणना के परिणाम से सम्बन्धित **परिशिष्ट-दस (प्ररूप-21)** में अंकित मतों की प्रविष्टियों को संशोधित किया जाए। ऐसा करते समय पर्यवेक्षक द्वारा लिखे गये आंकड़ों को काटा न जाए वरन् उन आंकड़ों के आगे संख्या बढ़ाने या घटाने के लिए धन (+) या ऋण (-) का चिन्ह लगाकर आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं और उन पर अपने आद्याक्षर किये जाएं। इसके पश्चात् परिशिष्ट-दस (प्ररूप-21) के अंत में अपने हस्ताक्षर भी किए गए जाएं।

वार्ड के सभी मतदान केन्द्रों पर डाले गये मतपत्रों की गणना उपरोक्तानुसार बारी-बारी से की जाए और गणना का परिणाम पत्र मतदान केन्द्रवार परिशिष्ट-दस (प्ररूप-21) में तैयार किया जाए।

(5) **गणना का अंतिम परिणाम पत्र तैयार करना.**- पार्षद् के निर्वाचन के मामले में संबंधित वार्ड में सम्मिलित सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना पूरी हो जाने पर उनका सारणीकरण परिशिष्ट-ग्यारह (प्ररूप 22) में करके अंतिम परिणाम पत्र तैयार किया जाए। इसी प्रकार महापौर/अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में पूरी नगरपालिका के सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना पूरी हो जाने के बाद, मतों का सारणीकरण परिशिष्ट-ग्यारह (प्ररूप-22) में करके ''अंतिम परिणाम पत्र'' तैयार किया जाए। गणना का अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप-22) तैयार हो जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों का रिटर्निंग आफिसर द्वारा आख्यापन (ऐलान) किया जाए।

12. पुर्नगणना:

उपर्युक्त आख्यापन (ऐलान) के तुरन्त बाद कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतपत्रों की पुनगर्णना के लिए लिखित में आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र में उन आधारों का उल्लेख आवश्यक है जिन पर पुनर्गणना की मांग की जा रही है। ऐसी मांग की जाने पर, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने विवेक से औपचारिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समय दिया जाए। इस बीच आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसमें पुर्नगणना के लिए उल्लिखित आधारों पर विचार किया जाए। यदि आधार तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हों तो रिटर्निंग आफिसर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर सकता है और यदि वह यह पाए कि आवेदन-पत्र में दिये गये आधार समाधानकारक है तो वह उसे पूर्णत: या आंशिक रूप से स्वीकार

करते हुए मतपत्रों की दोबारा गणना का निर्देश देगा। सामान्यतया ऐसे अभ्यर्थी के मामले में पुनर्गणना की मांग स्वीकार करना अधिक युक्तियुक्त होगा जिसको प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या (i) में निक्षेप (जमानत) की राशि जप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक मतों की न्यूनतम संख्या से कुछ ही कम है, या (ii) विजयी अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या से कुछ ही कम है।

पुर्नगणना पूरी हो जाने पर मतदान केन्द्र से सम्बन्धित गणना का परिणाम पत्र (प्ररूप–21) यथावश्यक संशोधित किया जाएगा और उसमें रिटर्निंग आफिसर अपने हस्ताक्षर करेगा। उसके बाद गणना के अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप–22) में यथावश्यक संशोधन करते हुए रिटर्निंग अफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या का आख्यापन (ऐलान) करेगा। ऐसा आख्यापन किए जाने के बाद रिटर्निंग आफिसर अंतिम परिणाम पत्र को पूरा करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस कार्यवाही के पूर्ण होने के पश्चात् अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को पुनर्गणना की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा और इस संबंध में कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।

13. मतगणना कार्य की निरन्तरता:

मतों की गणना का कार्य एक बार शुरू होने पर तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त न हो जाए। बगैर किसी अप्रत्याशित घटना या अपरिहार्य परिस्थिति के गणना कार्य बीच में नहीं रोका जाएगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण (जैसे कि आग या हिंसा) से मतगणना बीच में रोकनी पड़े तो सभी मतपत्रों और अन्य कागजों को एक पैकेट में रखकर सीलबन्द कर दिया जाए। ऐसे प्रत्येक पैकेट पर रिटर्निंग आफिसर के साथ–साथ यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए।

14. निर्वाचन की विवरणी तथा घोषणा:

गणना के अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–22) के आधार पर **परिशिष्ट–बारह (प्ररूप–23) में निर्वाचन की घोषणा–सह–विवरणी** तैयार की जाए और जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक विधिमान्य मत प्राप्त हुए हों उसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाए। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों को बराबर–बराबर मत प्राप्त हों तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा उन अभ्यर्थियों के बीच लॉट निकालने की कार्यवाही की जाए और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकले उसे, एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ मानकर, निर्वाचित घोषित किया जाए। ऐसे मामले में रिटर्निंग आफिसर विवरणी (प्ररूप–23) के अन्त में शब्द ''लॉट –निकालकर'' अंकित करेगा।

15. गणना के पश्चात् मतपत्रों को सील किया जाना:

(i) निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद वार्डवार, प्रत्येक अभ्यर्थी को विभिन्न मतदान केन्द्रों पर प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों की अलग–अलग गड्डियां बनाई जाएं तथा

प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों की एक अलग गड्डी बनाई जाए। इन सभी गड्डियों को एक पैकेट में रखकर उसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा सील किया जाए। यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता (या इन दोनों की अनुपस्थिति में उसका गणन अभिकर्ता) भी पैकेट पर अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए। इस पैकेट पर पहचान के लिए निम्नानुसार विवरण अंकित किया जाए:

''गिने गए साधारण मतपत्र: विधिमान्य और प्रतिक्षेपित''

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत----------
महापौर/अध्यक्ष/पार्षद, वार्ड क्रमांक----------
मतगणना की तारीख----------

प्रत्येक वार्ड के लिए इस प्रकार तैयार किए गए साधारण मतपत्रों के पैकेट के ऊपर, कंडिका 10 (6) के अन्तर्गत तैयार किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के पैकेट को रखकर, उन्हें एक साथ सुतली या रबर बैण्ड से बांध दिया जाए।

(ii) नगरपालिका के विभिन्न वार्डों के लिए वार्डवार तैयार किए गए सामान्य मतपत्रों के बंडलों को तथा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों के बंडलों को बाक्सों में बंद करके उन्हें कोषालय या उप कोषालय या उप कोषालय के दृढ़कक्ष (स्ट्रांगरूम) में रखवा दिया जाए। महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षदों के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों के बंडलों को, अलग-अलग बक्सों मे रखा जाए। इस प्रकार सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए समस्त सीलबंद बक्सों की चाबियां रिटनिंग आफिसर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को सौप दी जाएं। यह सारी कार्यवाही निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद यथासंभव उसी दिन, अन्यथा अगले दिन के दोपहर तक पूरी कर ली जाए।

16. निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया जाना:

किसी अभ्यर्थी के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा के पश्चात् (नियम 39) या सविरोध निर्वाचन की स्थिति में सर्वाधिक विधिमान्य मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचित होने की घोषणा करने के पश्चात् (नियम 74) रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसे परिशिष्ट-तेरह (प्ररूप-24) में निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए और उससे **परिशिष्ट-चौदह** में दर्शित प्ररूप में अभिस्वीकृति प्राप्त करके जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को भेजी जाए।

*****

मतगणना से सम्बन्धित छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 का उद्धरण

अध्याय 8–मतों की गणना

64. मतो की गणना का पर्यवेक्षण.– प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान होता है, मतों की गणना या तो रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अन्य अधिकारी के, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राधिकृत किया जाए, पर्यवेक्षक तथा निदेशन के अधीन की जाएगी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह मतगणना के समय उपस्थित रहें.

65. मतणना के लिये नियत किए गए स्थान में प्रवेश.–(1) रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं मतगणना के लिए नियत स्थान से–

(क) ऐसे व्यक्तियों के, जो गणना, पर्यवेक्षक ओर गणना सहायक के रूप में ज्ञात है और जिन्हें वह मतगणना करने में अपनी सहायता करने के लिये नियुक्त करें,

(ख) निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के,

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवकों के, और

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के, सिवाय अन्य समस्त व्यक्तियों को अपवर्जित करेगा.

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसे निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या जो उसके लिए अन्य प्रकार से कार्य करता रहा हो, उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी यह विनिश्चय करेंगे कि कौन सा या कौन से मतगणना अभिकर्ता किस विशेष मतगणना टेबल या मतगणना टेबलों के समूहों पर मतगणना का कार्य देखेंगे.

(4) ऐसे किसी व्यक्ति को जो मतगणना के दौरान अपचार करे या रिटर्निंग आफिसर के या किन्हीं ऐसे अधिकारियों के जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हों, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करे, उस स्थान से, जहां पर मतगणना की जा रही हो रिटर्निंग आफिसर द्वारा, या कर्तव्य पर उपस्थित किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा.

66. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना.–(1) रिटर्निंग आफिसर प्रथमतः निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में निपटाएगा.

(2) उस निमित्त नियत समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप 19–ख में प्राप्त कोई लिफाफा खोला नहीं जाएगा तथा ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जाएगी.

(3) अन्य लिफाफों को एक–एक करके खोला जाएगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए रिटर्निंग आफिसर प्रथमतः उसमें अर्न्तविष्ट प्ररूप 19–ग में घोषणा की संवीक्षा करेगा.

(4) यदि उक्त घोषणा नहीं पाई जाती है या उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा अभिप्रमाणित नहीं किया गया है, या अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रमांक प्ररूप 19–क में लिफाफे पर पृष्ठांकित किये गये अनुक्रमांक से भिन्न है तो उस लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और उसे उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् उसमें रखे हुए मतपत्र को रिटर्निंग आफिसर प्रतिक्षेपित कर देगा.

(5) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिफाफा तथा उसके साथ प्राप्त घोषणा को पुनः प्ररूप 19–ख के लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप 19–ख में के ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक् पैकेट में रखें जाएंगे जिन्हें सीलबन्द किया जाएगा और उस पर वार्ड का क्रमांक तथा नाम, यदि कोई हो, गणना की तारीख तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किये जाएंगे.

(6) रिटर्निंग आफिसर तब प्ररूप 19–ग में की उन सभी घोषणाओं को, जो उसने व्यवस्थित पाई हैं, एक पृथक् पैकेट में रखेगा और उसे प्ररूप 19–क में के किसी लिफाफे को खोलने के पहले सीलबन्द किया जाएगा और उस पर उपनियम (5) निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी.

(7) प्ररूप 19–क में के उन छोटे लिफाफों को, जिनके विषय में इस नियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन पहले से ही कार्यवाही नहीं की गई है, तब एक–एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग आफिसर हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित किए गए मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा.

(8) किसी निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा–

(क) यदि उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जो मत को अभिलिखित करने से भिन्न है जिससे कि मतदाता की पहचान हो सके, या

(ख) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है, या

(ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिये गये है, या

(घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है, या

(ड) यदि वह इस प्रकार क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, या

(च) यदि उसे उसी लिफाफे में जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को उसके साथ ही भेजा गया था, रखकर नहीं लौटाया गया है, या

(छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति में लगा है जिससे कि यह बात संदेहपूर्ण हो कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है.

(9) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से ऐसा आशय स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा.

(10) रिटर्निंग आफिसर उन सभी विधिमान्य मतों की, जो हर एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा, उनके योग को प्ररूप-20 में परिणामपत्र में अभिलिखित करेगा और उसे आख्यापित (एनाउन्स) करेगा.

(11) तदुपरांत, सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल पृथक-पृथक बांधे जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की ओर ऐसे अभ्यर्थियों की, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो इस पर अपनी सील लगाना चाहें, सीलों से सीलबन्द किया जाएगा और ऐसे सीलबन्द पैकेट पर वार्ड का क्रमांक और नाम, यदि कोई हो, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा.

67. मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना.- (1) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी एक वार्ड के मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटियों को एक साथ खुलवा सकेंगे और उनकी अन्तर्वस्तुओं की गणना साथ-साथ करवा सकेंगे.

(2) किसी मतपेटी के मतगणना टेबल पर खोले जाने के पूर्व, किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ताओं को, जो उस टेबल पर उपस्थित हो, पेपर सील का या किसी ऐसी अन्य सील का, जो उस पर लगा हो, निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने के लिए कि वह ठीक हालत में है, अनुज्ञात किया जाएगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में भी वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है.

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर या उसके क्षरा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ी की गई है तो वह

उस मतपेटी में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र के संबंध में नियम 62 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

68. मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित किया जाना.–(1) मतपेटी में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, यदि–

(क) उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है; या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(घ) वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रमांकों से भिन्न क्रमांक का या परिकल्पों से भिन्न परिकल्पों का है; या

(ड) उस पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो नियम 50 के उपनियम 3 के उपबन्धों के अधीन होना चाहिए; या

(च) उस पर कोई चिन्ह नहीं लगा है; या

(छ) एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम में चिन्ह लगाया गया है; या

(ज) उस पर प्रयोजन के लिए निहित उपकरण और रीति से भिन्न उपकरण और रीति में चिन्ह लगाया गया है:

परन्तु जहां रिटर्निंग आफिसर ने यह समाधान कर लेने पर कि किसी केन्द्र में उपयोग में लए गए सभी या किसी मतपत्र के संबंध में खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) के अधीन ऐसी त्रुटि के आधार पर प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा.

परन्तु यह और भी कि यदि मतदाता द्वारा अंकित किए गए चिन्ह का विस्तार मतपत्र के दो कालमों में हो गया हो तो उस मत की गणना उस अभ्यर्थी के पक्ष में की जाएगी जिसके कालम में चिन्ह का अधिक भाग पड़ता हो.

(2) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी किसी मतपत्र को उपनियम (1) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे गणन अभिकर्ता को जो उपस्थित हो, मतपत्र के निरीक्षण के लिये युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उस (मतपत्र) से या किसी अन्य मतपत्र से हाथ नहीं लगाने देगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर, जिसे वह प्रतिक्षेपण करता है अक्षर ''प्र'' और प्रतिक्षेपित करने के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो अपने हाथ से लिख कर या रबर स्टाम्प लगाकर अभिलिखित करेगा.

(4) इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए समस्त मतपत्रों को एक साथ बंडल में बांधा जाएगा.

69. मतों की गणना.– (1) हर मतपत्र की जिसे नियम 68 के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, गणना की जाएगी:

परन्तु किसी लिफाफे को, जिसमें निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट है, खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी.

(2) यदि किसी वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या एक से अधिक हो तो उस वार्ड में के विभिन्न मतदान केन्द्रो के लिए गणना, एक के बाद एक की जाएगी और उसका परिणाम प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए प्ररूप–21 में पृथक्–पृथक् अभिलिखित किया जाएगा.

(3) किसी वार्ड में समस्त मतदान केन्द्रों के संबंध में गणना पूर्ण कर ली जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर अंतिम परिणाम पत्र (शीट) प्ररूप–22 में परिणाम संकलित करेगा. वह प्ररूप 20 में .....आस्थापित (अनाउन्स) करे या

70. गणना लगातार की जाएगी.– रिटर्निंग आफिसर, यथासाध्य, मतगणना लगातार करता रहेगा और ऐसे किन्हीं अन्तरालों के दौरान जब गणना निलंबित करनी पड़ती है, निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों, पैकेटों और कागज–पत्रों को, स्वयं अपनी सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं की, जो अपनी सील लगाना चाहें, सीलों से सीलबंद करके रखेगा और ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरतेगा.

71. नये मतदान के पश्चात् गणना का पुनः प्रारम्भ किया जाना.– (1) यदि नियम 60 से 62 के अधीन नवीन मतदान किया जाता है तो रिटर्निंग आफिसर उस मतदान की समाप्ति के पश्चात् उस तारीख को, और उस समय और उस स्थान में, जो उसके द्वारा उस निमित्त नियत किया गया है, और जिसकी सूचना अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पहले की जा चुकी है, मतों की गणना पुनः प्रारंभ करेगा.?

(2) नियम 65 से 69 तक के उपबंध ऐसी आगे की गणना के संबंध में यथाशक्य लागू होंगे.

72. मतों की पुनर्गणना.– (1) रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियम 69 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या का आख्यापन किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या तो पूर्णतः या

भागतः मतों की पुनगर्णना करवाने के लिए उन आधारों का, जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, कथन करते हुए लिखित आवेदन रिटर्निंग आफिसर को कर सकेगा.

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसा आवेदन किए जाने पर उस बात का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या यदि वह उसे तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हो तो उसे पूर्ण रूप से प्रतिक्षेपित कर सकेगा.

(3) उपनियम (2) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का हर विनिश्चय लिखित में होगा और उसमें उस विनिश्चय के लिये कारण अन्तर्विष्ट होंगे.

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर आवेदन को उपनियम (2) के अधीन या तो पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात करने का विनिश्चय करे, तो वह–

(क) अपने विनिश्चय के अनुसार मतपत्रों की पुनर्गणना करेगा या करवाएगा,
(ख) प्ररूप–22 में परिणाम–पत्र को ऐसी पुनर्गणना के पश्चात् आवश्यक सीमा तक संशोधित करेगा, और
(ग) अपने द्वारा किये गये ऐसे संशोधन को आख्यापित करेगा.

(5) नियम 69 के उपनियम (3) के अधीन या उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मतदान में प्राप्त मतों की कुल संख्या आख्यापित किए जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर परिणाम पत्र को पूरा करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके पश्चात् पुनर्गणना के लिये कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगाः

परन्तु गणना पूरी होने पर इस उपनियम के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पूरा होने के समय उपस्थित अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(6) विधिमान्य मतपत्रों को तत्पश्चात् एक साथ बंडल में बांधा जावेगा और प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल के साथ पृथक् पैकेट में रखा जाएगा जिस पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी, अर्थात्:–

(क) वार्ड का क्रमांक;
(ख) मतदान केन्द्रों की विशिष्टियां जहां मतपत्र उपयोग में लाये गये है; और
(ग) गणना की तारीख.

73. मतों की साम्यता.– यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों की साम्यता पाई जाती है और एक मत के जोड़ लिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित होने के लिए हकदार हो सकता है, तो रिटर्निंग आफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लॉट निकाल कर तत्क्षण विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकली है उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है. ऐसे मामले में रिटर्निंग आफिसर प्ररूप–23 में अपनी निर्वाचन की घोषणा–सह विवरणी के अंत में शब्द ''लॉट निकाल कर'' करेगा.

74. निर्वाचन के परिणामों की घोषणा और उसकी विवरणी.– रिटर्निंग आफिसर फिर प्ररूप– 23 में निर्वाचन की घोषणा–सह–विवरणी पूरी करेगा और उसे प्रमाणित करेगा और उसकी दो हस्ताक्षरित प्रतियां, जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा जिसमें से एक उसके अभिलेख हेतु और दूसरी निर्वाचन आयोग की ओर अग्रेषित करने हेतु होगी.

75. निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण–पत्र अनुदत्त किया जाना.– रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियम 39 या 74 के अधीन अभ्यर्थी के निर्वाचित होने की घोषणा कर दी जाने के पश्चात् यथाशक्य शाीघ्र रिटर्निंग आफिसर प्ररूप–24 में निर्वाचन का प्रमाण–पत्र ऐसे अभ्यर्थी को अनुदत्त करेगा और उसके सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा.

*****

मतगणना कक्ष की व्यवस्था—1. नगर पंचायत (15 वार्ड)

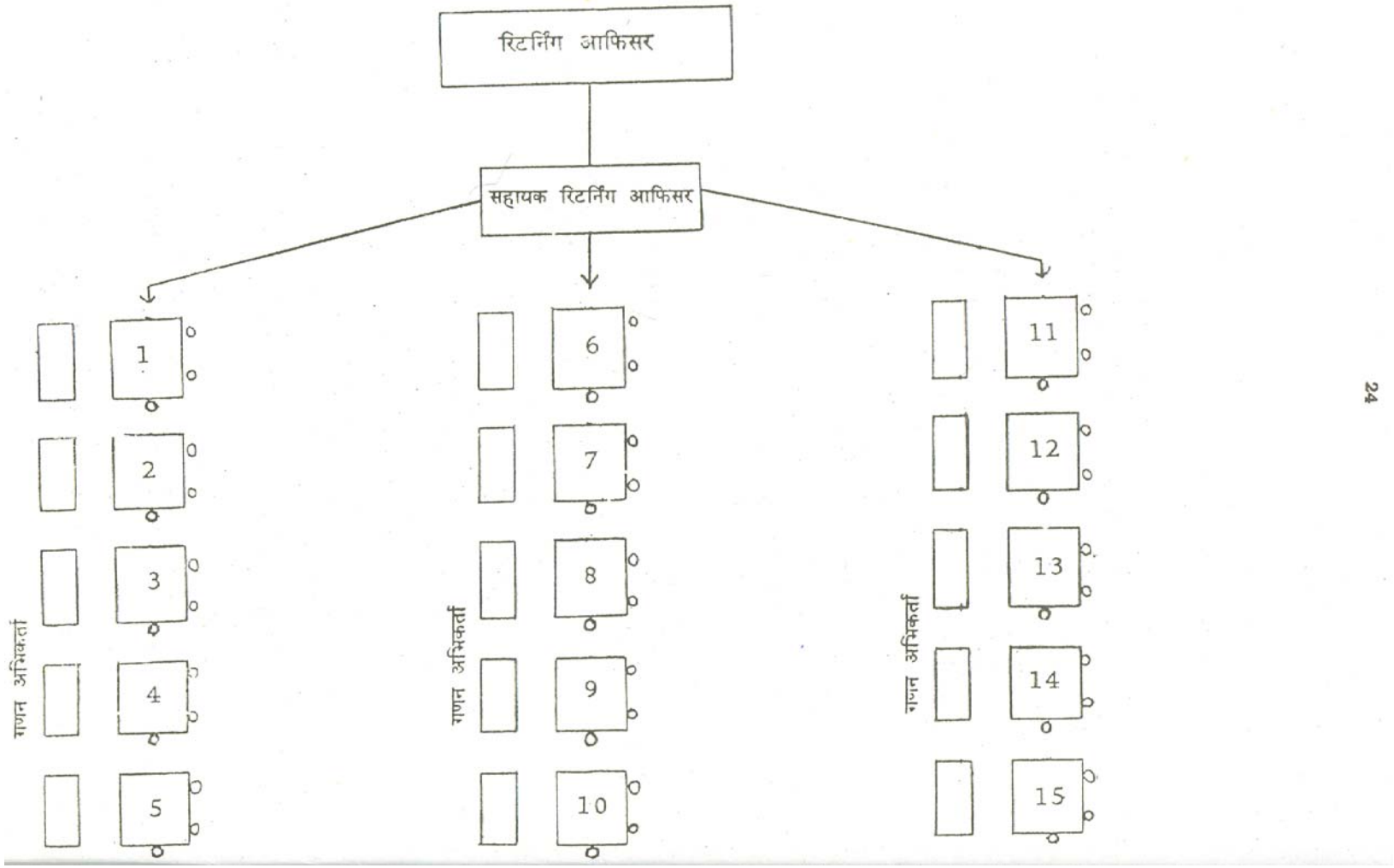

24

परिशिष्ट-दो (2)

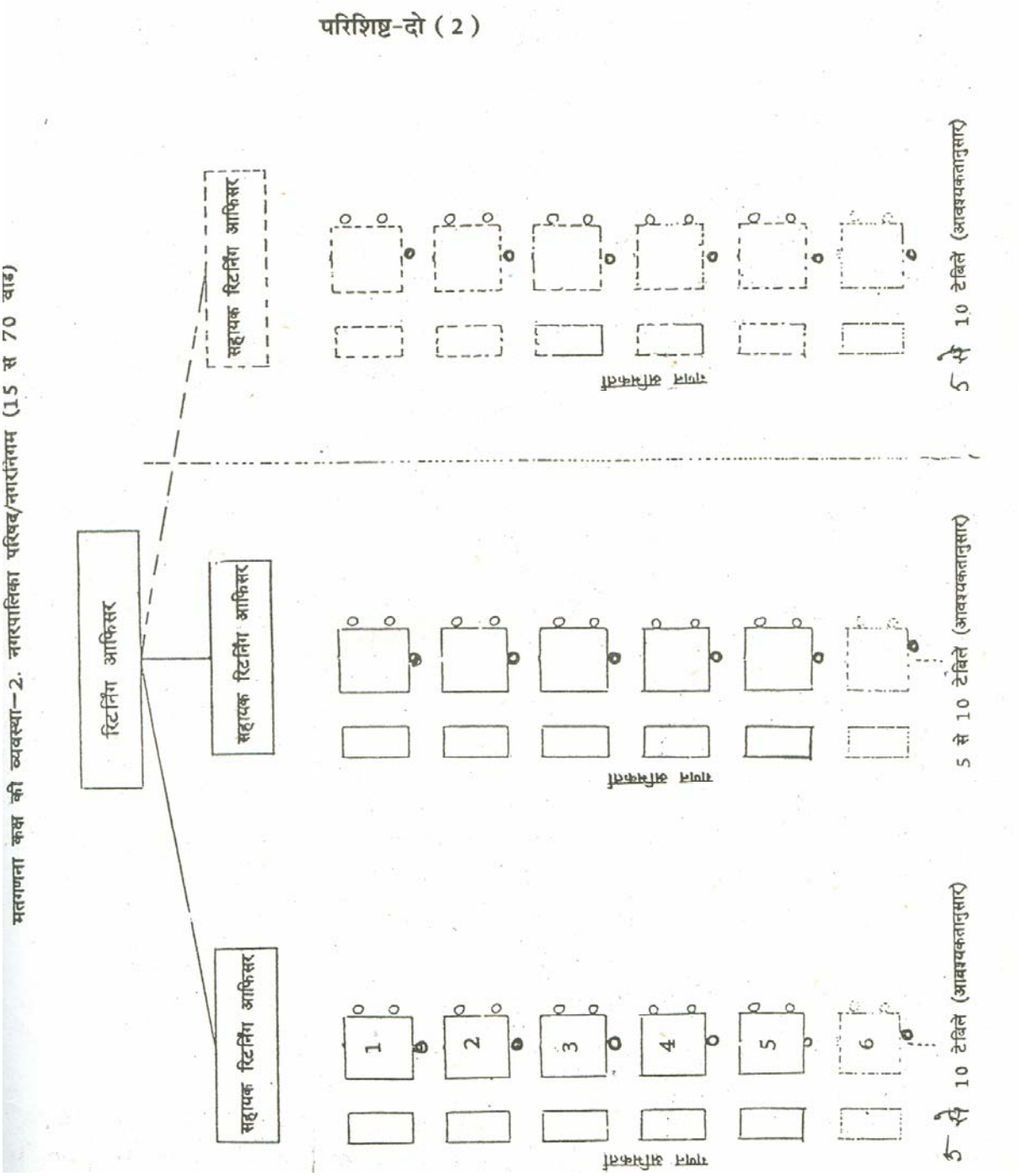
मतगणना कक्ष की व्यवस्था—2. नगरपालिका परिषद/नगरनिगम (15 स 70 वार्ड)
रिटर्निंग आफिसर
सहायक रिटर्निंग आफिसर
सहायक रिटर्निंग आफिसर
सहायक रिटर्निंग आफिसर
1
2
3
4
5
6
5 से 10 टेबिले (आवश्यकतानुसार)
5 से 10 टेबिले (आवश्यकतानुसार)
5 से 10 टेबिले (आवश्यकतानुसार)

<u>परिशिष्ट–तीन</u>

कार्यालय, रिटर्निंग आफिसर (न. पा.)

आदेश क्रमांक स्थान.....

दिनांक.....

विषय.– नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....की मतगणना के लिए गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों की नियुक्ति।

छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 64 के अन्तर्गत मतों की गणना के लिए नीचे दी गई सारणी के सतम्भ क्रमांक (1) में उल्लिखित वार्ड के लिए स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित मेज पर, स्तम्भ क्रमांक (3) में उल्लिखित अधिकारियों को गणना पर्यवेक्षक तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लिखित अधिकारियों को गणना सहायक नियुक्त किया जाता है। ये गणना अधिकारी सारणी के स्तम्भ क्रमांक (5) में उल्लिखित सहायक रिटर्निंग आफिसर से सम्बद्ध रहेंगे;–

सारणी

वार्ड क्रमांक	मेज क्रमांक	गणना पर्यवेक्षक का नाम, पद और कार्यालय	गणना सहायक का नाम नाम, पद और कार्यालय	गणना के प्रभारी सहायक रिटर्निंग आफिसर का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. मतगणना निम्नांकित स्थान, तारीख एवं समय पर प्रारम्भ होगी:–

मतगणना का स्थान.....

मतगणना का दिनांक.....

मतगणना प्रारम्भ होने का समय.....

संबंधित गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व गणना स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।

हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)

.....

प्रतिलिपिः–

1. सहायक रिटर्निंग आफिसर, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत..... .....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. संबंधित अधिकारी श्री.....(द्वारा कार्यालय प्रमुख)..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

   वे कृपया दिनांक.....को प्रातः/अपरान्ह.....बजे (स्थान.....) पर उपस्थित हों जहां उन्हें उनके कर्तव्यों के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षिण दिया जाएगा।

3. .....(कार्यालय प्रमुख).....को सूचनार्थ अग्रेषित।

   वे कृपया उपरोक्त अधिकारी को जब भी प्रशिक्षण आदि के लिए इस कार्यालय द्वारा बुलाया जाये, अनिवार्य रूप से कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करें।

[जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.)
एवं कलेक्टर.....
द्वारा अनुमोदित]

हस्ताक्षर
रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)
.....

वैध निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र

परिशिष्ट-पांच (2)

पार्षद का निर्वाचन
निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र

012345

नगरपालिका इन्दु नगर ..... वार्ड क्रमांक .15....

मुन्नूराम ✗

रामसिंह

श्यामलाल

पार्षद का निर्वाचन
निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र

012345

नगरपालिका इन्दु नगर ..... वार्ड क्रमांक ..15...

मुन्नूराम

रामसिंह

श्यामलाल ✓

परिशिष्ट–छः

प्रतिक्षेपित (खारिज) मतपत्रों पर लगाई जाने वाली मोहरों के नमूने

सील क्रमांक–एक — देखिए कण्डिका 10 (2)

प्रतिक्षेपित (खारिज)– कारण नियम 66 (4)

क. प्ररूप 19–ग में घोषणा अप्राप्त

ख. घोषणा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या अभिप्रमाणित नहीं

ग. घोषणा अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण

घ. घोषणा में अंकित मतपत्र क्रमांक लिफाफा प्ररूप 19–क पर पृष्ठांकित मतपत्र क्रमांक से भिन्न.

....

रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)

सील क्रमांक–दो — देखिए कण्डिका 10 (4)

प्रतिक्षेपित (खारिज)–कारण नियम 66 (8)

क. मतपत्र पर मतदाता की पहचान वाला चिन्ह

ख. मतपत्र पर मत अभिलिखित नहीं

ग. एक से अधिक अभ्यर्थी के लिये मतांकन

घ. मतपत्र बनावटी है

ड. मतपत्र क्षतिग्रस्त/विकृत

च. मतपत्र निर्धारित लिफाफा 19–क में बंद नहीं

छ. मतांकन स्पष्ट रूप से किसी अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं

....

रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)

सील क्रमांक–तीन — देखिए कण्डिका 11 (4) (ii)

प्रतिक्षेपित (खारिज)–कारण नियम 68 (1)

क. मतदाता की पहचान वाला चिन्ह

ख. मतपत्र बनावटी है

ग. मतपत्र क्षतिग्रस्त/विकृत

घ. प्राधिकृत मतपत्र से भिन्न क्रमांक

ड. सुभेदक सील का चिन्ह एवं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं

च. मतपत्र पर मतांकन नहीं

छ. एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मतांकन

ज. मतांकन विहित उपकरण / रीति से भिन्न

....

रिटर्निंग आफिसर (न.पा.)

प्ररूप–20

[नियम 66 (10) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक. . . . . से पार्षद् का निर्वाचन.**

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या (3)

2. (क) विधिमान्य किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या. . . . . .
   (ख) अविधिमान्य किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या. . . . . .
   (ग) प्राप्त हुए कुल निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या . . . . . .

स्थान..... .....
तारीख..... रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)के हस्ताक्षर
नाम.....

***जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.**

(1) गणना पर्ची का प्ररूप

(1) विधिमान्य मतों की गड्डी पर लगाने के लिए:–

गणना पर्ची

वार्ड क्रमांक . . . . . .
(केवल पार्षद के निर्वाचन के मामले में)

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद का निर्वाचन

मेज क्रमांक..... मतदान केन्द्र क्रमांक.....

अभ्यर्थी का नाम.....

प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या.....

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)
....
गणना पर्यवेक्षक सहायक रिटर्निंग आफिसर

---

(2) संदिग्ध मतपत्रों की गड्डी पर लगाने के लिए:–

गणना पर्ची

वार्ड क्रमांक . . . . . .
(केवल पार्षद के निर्वाचन के मामले में)

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद का निर्वाचन

मेज क्रमांक..... मतदान केन्द्र क्रमांक.....

संदिग्ध मतपत्रों की संख्या .....

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)
....
गणना पर्यवेक्षक सहायक रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप–18

(नियम 57 देखिए)

(भाग 1–मतपत्र लेखा)

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत.....के महापौर/अध्यक्ष वार्ड क्रमांक .....से पार्षद् का निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रमांक ..... तथा नाम.....

	अनुक्रमांक		कुल संख्या
	कहां से	कहां तक	

1. पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या ....

2. उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या ....

3. मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्र ....
   ** कुल संख्या (1–2=3)

4. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रः–
   (क) मुद्रण की त्रुटि के कारण रद्द किए मतपत्र ....
   (ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में
   लाए गए मतपत्र ....
   (ग) रद्द किये गये मतपत्र ....
   योग (क+ख+ग) ....

5. मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र ....
   **(3–4=5)
   (**क्रमांक देने की आवश्यकता नहीं है)

स्थान.....
तारीख.....

.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

भाग 2–प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाये गये मतपत्रों की संख्या.....

2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग–1 की मद 5 में दर्शायी गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो.....

.....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम.....

.....

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम .....

प्ररूप–21
[नियम 69 (2) देखिए]

गणना का परिणाम

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परषिद्/नगर पंचायत.....के महापौर/अध्यक्ष/ वार्ड क्रमांक. . . . . .से पार्षद का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक . . . . . .

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या (3)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....
(दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या .....
(तीन) डाले गये मतों की कुल संख्या .....

.....
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
नाम.....

स्थान.....
स्थान.....

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
नाम.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप–22

[नियम 69 (3) देखिए]

अन्तिम परिणाम–पत्र

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत.....के महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक. . . . . .से पार्षद का निर्वाचन**

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या						महायोग (3+4)
(1)	(2)	(3)	(4)						(5)
			मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	योग	

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....
   (दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या.....
   (तीन) डाले गये मतों की कुल संख्या.....
   (चार) विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....
   (पांच) अविधिमान्य किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....
   (छः) डाले गये निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....

स्थान.....
तारीख.....

हस्ताक्षर .....
गणना पर्यवेक्षक
नाम .....

हस्ताक्षर .....
रिटर्निंग आफिसर(नगरपालिका)
नाम.....

***जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.**
टीप.–आवश्यकता होने पर पृष्ठ भाग का उपयोग करें।

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या (3)	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या (4)						महायोग 3+4 (5)
			मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	मतदान केन्द्र क्रमांक ( )	योग	

हस्ताक्षर.....
गणना पर्यवेक्षक
नाम.....

हस्ताक्षर.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
नाम.....

प्ररूप–23

[नियम 74 देखिए]

निर्वाचन की घोषणा–सह विवरणी

***नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक. . . . . .से पार्षद का निर्वाचन**

(1) निर्वाचन की विवरणी

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	दल से सम्बद्धता (3)	प्राप्त हुए मतो की संख्या (4)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

मतदाताओं की कुल संख्या .....

डाले गये विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....

अविधिमान्य (प्रतिक्षेपित) मतों की कुल संख्या .....

निविदत्त मतों की कुल संख्या .....

(कृपया पृष्ठ पलटिए)

(2) विवरणी के आधार पर निर्वाचन घोषणा

मै घोषित करता हूं कि–

नाम.....
पता.....
.....

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए है/हुई है.

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम .....

सील.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

टिप्पणी.– कन्ही अभ्यर्थियों के बीच मतों की साम्यता पाई जाने के मामले में नियम 73 में धिकाथित प्रक्रिया का पालन किया जाए

प्ररूप–24

[नियम 75 देखिए]

निर्वाचन का प्रमाण–पत्र

मैं, *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....
जिला.....के लिए रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने वर्ष . . . . . .के . . . . . .(माह) की तारीख. . . . . .
को यह घोषित कर दिया है कि श्री/श्रीमती/कु.....
पता.....
**जो (मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नाम).....द्वारा खड़े किए गए/की गई है;

**नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....के *महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक. . . . . .से पार्षद् के रूप में सम्यक्रूप से निर्वाचित हो *गए/गई हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है.

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम .....

सील.....

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

**यदि आवश्यक हो तो काट दीजिए.

परिशिष्ट–चौदह

निर्वाचित अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण–पत्र देने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्ररूप

मैं,.....पिता/पति.....नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक.....से पार्षद् के रूप में अपने निर्वाचन के प्रमाण–पत्र (प्ररूप24) की प्राप्ति स्वीकार करता/करती हूं.

स्थान..... .....

तारीख..... **निर्वाचन अभ्यर्थी के हस्ताक्षर तथा नाम**

अभिप्रमाणित तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)..... को अग्रेषित.

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

सील